

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

प्रेषक : सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।	सेवा में, सभी सम्बन्धित, प्राचार्य/मुख्याध्यापक/आचार्य गुरुकुल, राजकीय/अराजकीय विद्यालय।
--	---

क्रमांक: 2907/एनरोलमैन्ट

संशोधित महत्वपूर्ण सूचना

दिनांक : 07/09/2026

विषय:—शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विद्यालय परिवर्तन/**Direct Admission** से सम्बन्धित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की सूचना बोर्ड कार्यालय में भेजने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको परिपत्र क्रमांक 2886/एनरोलमैन्ट दिनांक 31.08.2026 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विद्यालय परिवर्तन/**Direct Admission** से सम्बन्धित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति हेतु आवश्यक दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक में अपलोड करने बारे सूचना दी गई थी।

उक्त की निरन्तरता में आपको सूचित किया जाता है कि, पहले दी गई महत्वपूर्ण सूचना में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उक्त विषय से सम्बन्धित सभी छात्रों/छात्राओं के माता-पिता द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र भी साथ में अपलोड किया जाना था, जिसमें अब सक्षम अधिकारी द्वारा शपथ-पत्र अपलोड न करने बारे छूट प्रदान कर दी गई है। अतः अब शपथ पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है तथा शेष आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य है।

भवदीय

07/09/26

सहायक सचिव, एनरोलमैन्ट शाखा
कृते: सचिव